<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 08/06/2016 को आयोजित 129वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 129 वीं बैठक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री पी.एस.जयकुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डॉ. ललित मेहरा, प्रमुख शासन सचिव,सहकारिता, राजस्थान सरकार, श्री प्रेम सिंह मेहरा, प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं कर, राजस्थान सरकार, श्री रोहित कुमार, शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग एवं आयुक्त रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान सरकार, श्री पी. के.जेना, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री आर.के.थानवी, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री पल्लव महापात्र, उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। ***(संलग्न सूची के अनुसार)***

संयोजक, एस.एल.बी.सी., राजस्थान द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया।

बैठक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक के प्रारम्भ में एजेण्डा वार चर्चा करने तथा बैठक समाप्ति से पूर्व संबोधित करने हेतु निर्देशित किया ।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1) विगत **128** वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:-

1. ऑन-साईट ए.टी.एम .स्थापना

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की 4292 बैंक शाखाओं में से 3723 शाखाओं (86.74%), अन्य वाणिज्यिक बैंक की 959 शाखाओं में से 779 शाखाओं (81.23%), ग्रामीण बैंकों की 1422 शाखाओं में से 12 शाखाओं (0.88%), सहकारी बैंकों की 613 शाखाओं में से 02 शाखा (0.33%) में ही Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है अर्थात राज्य में कार्यरत कुल 7286 बैंक शाखाओं में से 4516 शाखाओं (61.98%) में Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सूचित किया कि पिछली बैठक के दौरान अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 50 तथा अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने 100 ए.टी.एम. मार्च 2016 तक स्थापित करने की प्रतिबद्धता दी थी लेकिन मार्च 2016 तक एक भी ए.टी.एम. स्थापित नही किया गया है, इस सम्बंध में अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक को सदन के समक्ष विचार रखने हेतु कहा गया ।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत करवाया कि उनके बैंक मे प्रायोजक बैंक (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर) के ग्रुप लीडर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ए.टी.एम. उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा 35 ऑन-साईट ए.टी.एम. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक की शाखाओं में स्थापित करने हेतु सहमति प्राप्त हुई है तथा सितम्बर 2016 तक 35 ए.टी.एम. स्थापित कर लिये जायेंगे ।

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सदन को अवगत करवाया गया कि उनके बैंक द्वारा 50 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने के लक्ष्य के सापेक्ष 1 ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित किया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक की ए.टी.एम. स्थापित करने पर प्रोत्साहन देने वाली योजना के तहत आवेदन करने से अवगत करवाते हुए, प्रायोजक बैंक से तकनीकी सहायता लेकर ए.टी.एम. स्थापित करने से सूचित किया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने सभी बैकिंग लेन-देन संव्यवहार इलेक्ट्रोनिक रूप से करने, ए.टी.एम. एवं वैकल्पिक वितरण प्रणाली (Alternate Delivery Channel) के प्रयोग को बढ़ाने व मोबाईल के माध्यम से भुगतान समाधान (Payment Solution) को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने ऑन-साईट ए.टी.एम. स्थापित करने के सम्बंध में ऐसी जगह, जहॉ आस-पास के क्षेत्र में पहले से किसी भी बैंक का ए.टी.एम. नही हो, को प्राथमिकता देने की आवश्यकता दर्शाई. इसी क्रम में उन्होनें ए.टी.एम. स्थापित करते समय सुदूर इलाकों मे नगदी आहरण की सुविधा उपलब्ध करवाने को ध्यान में रखते हुए ए.टी.एम. स्थापित करने हेतु बल दिया। उन्होनें सदन को ए.टी.एम. off-us लेन-देन संव्यवहार की Failure rate अधिक होने, ए.टी.एम. कार्ड वितरण हेतु शाखाओं में लम्बित होने तथा ए.टी.एम. डेबिट कार्ड, activation दर कम होनें पर गहन चिंता व्यक्त की एवं इस सम्बंध में वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार की आवश्यकता बतलायी।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा ATM Off-us लेन-देन संव्यवहार की राज्य हेतु **failure / rejection** दर के बारे में एस.एल.बी.सी. स्तर से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही :एस.एल.बी.सी.)

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के प्रतिनिधि ने 126वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के दौरान निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बैंकों द्वारा ए.टी.एम. स्थापित करने के सम्बंध में आने वाली लागत का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन करने हेतु दिये गये सुझाव के आधार पर उनके बैंक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 100 लोकेशन चिन्हित कर 50% लागत बैंक को प्रदान करने का मामला राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT) के पास काफी समय से लम्बित होने के बारे में सूचित किया। इस पर **प्रतिनिधि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C)** ने बताया कि केवल आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा इस प्रकार का क्लेम प्रस्तुत किया गया है, अन्य बैंकों द्वारा क्लेम किये जाने पर मामला सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राजस्थान सरकार को अग्रेषित कर दिया जायेगा। इस पर हस्तक्षेप करते हुए **प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार** ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के क्लेम को प्रोसेस कर 50% लागत नियमानुसार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को शीघ्र दिये जाने हेतु प्रतिनिधि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) को निर्देशित किया।

(कार्यवाही: सूचना प्रौद्योगिकी (DoIT) एवं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग, राज. सरकार)

2 & 3. Allotment of land to RSETIs Alwar & Bharatpur District and to start functioning Of RSETI, Alwar

महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने आर-सेटी भरतपुर के लिए जिला प्रशासन द्वारा भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु राजस्व विभाग को प्रस्तुत कर दिये जाने से सूचित किया तथा आर-सेटी, अलवर के 15.06.2016 से सुचारू रूप से चालू होने से अवगत करवाया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा राज्य सरकार से आर-सेटी अलवर एवं भरपुर हेतु भूमि आवंटन का मामला शीघ्र निस्तारित करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही :ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

4. Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में लिखे पत्र के बारे में अवगत करवाया गया। इस क्रम में बैठक के अध्यक्ष एवं संयोजक एस.एल.बी.सी. द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन पर पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

संयुक्त सचिव, आयोजना विभाग ने राजस्व विभाग के साथ लगातार फोलोअप करने तथा मामले में कोई प्रगति नहीं होने से अवगत करवाया।

प्रसंगवश, संयोजक एस.एल.बी.सी. ने एनपीए (NPA) की बढ़ती घटनाओं से बैंकों की लाभप्रदता प्रभावित होने से अवगत करवाया तथा बताया कि वसूली बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, अत: सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे एन.पी.ए. स्तर को देखते हुए राज्य सरकार से राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन करने के सम्बन्ध में पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने मुद्दे के समाधान नहीं होने की स्थिति में आगामी बैठक में सचिव, राजस्व को बैठक में आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया तथा अपने स्तर से भी मामले में फोलोअप कर आवश्यक कार्यवाही करवाने से सूचित किया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग, आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग)

एजेण्डा क्रमांक - 2:

शाखा विस्तार: 31मार्च 2016 तक राज्य में कुल 7286 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंकों द्वारा कुल 482 शाखाएं खोली गयी, जिनमें से 367 (76.14%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों में खोली गयी हैं।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने शाखा विस्तार योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की प्रगति की समीक्षा अर्थात ऐसे बैंक जिन्होनें शाखा विस्तार योजना में शाखाएं नही खोली है की समीक्षा करने पर जोर दिया।

सहायक महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि शाखा विस्तार योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में 500 नयी बैंक शाखायें खोलने की घोषणा की गयी थी तथा राज्य में सभी बैंकों द्वारा 534 शाखाएं खोलने का रोड़मेप प्रस्तुत किया गया था किन्तु कुछ बैंकों द्वारा प्रस्तुत रोड़मेप के सापेक्ष बहुत ही कम शाखाएं खोली है जैसे कि यूको बैंक द्वारा 26 शाखाएं खोलने के प्रस्तुत रोड़मेप के सापेक्ष केवल 1 ही शाखा खोली गयी, देना बैंक द्वारा 24 शाखाएं खोलने हेतु प्रस्तुत रोड़मेप के सापेक्ष केवल 5 शाखाएं ही खोली गयी, कोर्पोरेशन बैंक ने 25 शाखाएं खोलने प्रस्तुत रोड़मेप के

सापेक्ष केवल 10 शाखाएं ही खोली गयी तथा पंजाब एवं सिंध बैंक ने 15 शाखाएं खोलने के प्रस्तुत रोड़मेप के सापेक्ष केवल 1 शाखा ही खोली गयी।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. द्वारा उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष रहे अंतर को वित्तीय वर्ष (2016-17) में कवर करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: यूको बैंक, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक)

सभी बैंकों से वर्ष 2016-17 हेतु बोर्ड अनुमोदित वार्षिक शाखा विस्तार प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि बैंकों से प्राप्त समेकित शाखा विस्तार कार्यक्रम से राज्य सरकार को तदानुसार सूचित किया जा सके.

इस सम्बंध में **अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी.** ने तिमाही आधार पर शाखा खोलने से सम्बंधित रोडमैप प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि उक्त रोडमैप के सापेक्ष राज्य में शाखा विस्तार कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके.

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार (परिपत्र दिनांक 30.12.2015) 5000 से ज्यादा जनसंख्या (As per census 2011) वाले बैंक रहित गॉवों में बैंक शाखा स्थापित करने हेतु एस.एल.बी.सी. द्वारा रोड़मेप तैयार किया जाकर 171 बैंक रहित गॉव चिन्हित कर विभिन्न बैंकों के मध्य आवंटित किये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उक्त बैंक रहित गॉवों में शाखा 31 मार्च 2017 तक खोली जानी है। मार्च 2016 तिमाही तक उक्त रोड़मैप के अंतर्गत 4 नयी बैंक शाखाएं खोली जाने से अवगत करवाया।

जमाएँ व अग्रिम: 31 मार्च 2016 को राज्य में 9.33% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कुल जमाएँ रूपये 2,78,655 करोड़ तथा 3.99% वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक वृद्धि के साथ कुल ऋण रूपये 2,16,321 करोड़ रहे हैं। वाणिज्य तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाओं में वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमश: 10.07% तथा 12.28% रही है लेकिन को-ऑपरेटिव बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि ऋणात्मक 4.44% प्रतिशत रही जिससे राज्य की वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रभावित हुई है।

प्रतिनधि, को-ऑपरेटिव बैंक ने चालू वर्ष के दौरान जमाओं में आशातीत वृद्धि हेतु समुचित प्रयास किये जाने से सूचित किया।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने ऋणों में ऋणात्मक वृद्धि का मुख्य कारण राज्य में बैंकों द्वारा डिस्कोम को स्वीकृत 31,000 करोड़ रूपये (लगभग) की ऋण सुविधा का उदय स्कीम के अंतर्गत बॉण्ड में रूपान्तरित होना बताया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च 2016 को राज्य में 16.04% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,45,112 करोड़ रहा है।

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 31 मार्च 2016 को राज्य में 18.36% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 79,075 करोड़ रहा है।

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 31 मार्च 2016 को राज्य में 13.39% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 66,037 करोड़ रहा है।

कमजोर वर्ग को ऋण: 31 मार्च 2016 को राज्य में 20.75% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 47,835 करोड़ रहा है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 31 मार्च 2016 को राज्य में 16.22% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 12,161करोड़ रहा है।

राज्य में **कुल अग्रिमों** का **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम** 67.08%, **कृषि क्षेत्र को** 36.55%, **कमजोर वर्ग को** 22.11% रहा है जो कि निर्धारित बैंचमार्क से अधिक है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी ने बताया कि दिसम्बर 2015 की तुलना में मार्च 2016 की तुलना में सभी पैरामीटर्स यथा जमा, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम, कृषि क्षेत्र को ऋण, अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी है जिसका मुख्य कारण एनपीए (NPA) का बढ़ना रहा है, फलस्वरूप बैंकों का फोकस वसूली की तरफ मुड़ना रहा है।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): 31 मार्च 2016 को राज्य में साख जमा अनुपात 80.50% रहा हैं। जिला स्तर पर 8 जिलों का साख जमा अनुपात 100% से अधिक रहा हैं, 19 जिलों का साख जमा अनुपात 60% से 100% के बीच तथा 3 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से 60% के बीच रहा है। वहीं तीन जिलों यथा डूंगरपुर, राजसमन्द तथा सिरोही में यह अनुपात 40% से 50% के बीच क्रमशः 42.75%, 42.12% व 47.20% रहा है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सूचित किया कि पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार साख जमा अनुपात वृद्धि में आ रहे अवरोधकों के कारणों का विश्लेषण करने हेतु गठित कमेटी द्वारा सभी चार जिलों डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही तथा उदयपुर की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा अध्ययन रिपोर्ट का सार टेबल एजेंडा-1 में प्रस्तुत कर सदन के समक्ष रखा गया।

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धि 95% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 83%, सूक्ष्म व लघु उघम क्षेत्र में 132%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 91% की उपलब्धि दर्ज की गई।

संयोजक, एस.एल.बी.सी ने बताया कि एनपीए (NPA) के बढ़ने से वार्षिक साख योजनांतर्गत प्रगति प्रलक्षित नही हो सकी हैं अर्थात बैंकों का वसूली की ओर ध्यान मुड़ने के कारण अंतिम तिमाही में वार्षिक साख योजनांतर्गत आशानुरूप कम प्रगति दर्ज की जा सकी।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने वार्षिक साख योजना से सम्बंधित अन्य नजदीकी राज्यों के आंकड़े प्राप्त कर राज्य की प्रगति की तुलनात्मक समीक्षा करने हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत करने को निर्देशित किया।
(कार्यवाही: एस.एल.बी.सी.)

संयोजक, एस.एल.बी.सी ने अवगत करवाया कि वार्षिक साख योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016 -17 के लक्ष्यों का आवंटन नाबार्ड के PLP एवं वर्ष 2015-16 के वार्षिक साख योजना (ACP) के अंतर्गत प्राप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तथा वित्तीय वर्ष 2016 -17 हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों के आवंटन में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लक्ष्यों के सापेक्ष 29.21% की वृद्धि दर्ज की गयी है।

एजेण्डा क्रमांक – 3-

Opening of Banking Outlet in SSAs:

सदन को अवगत करवाया गया कि राज्य में सभी 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA) बैंक शाखा तथा बी.सी. के माध्यम से कवर किए जा रहे हैं, जिनमें से 7423 उप-सेवा क्षेत्र बी.सी. द्वारा कवर किये गये हैं तथा 1983 उप-सेवा क्षेत्र Brick & Mortar शाखाओं द्वारा कवर किये गये हैं।

Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000:

सदन को अवगत करवाया गया कि 2000 से कम आबादी वाले 35086 बैंक रहित (Unbanked) गांवों को मार्च 2016 तक कवर करने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष सभी गांव कवर कर लिये गये हैं।

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत करवाया कि विभिन्न वित्तीय साक्षरता बैठकों में सहभागिता हेतु विजिट के दौरान पाया गया है कि कई BC केंद्रों पर बी.सी. सक्रिय नही है तथा ग्रामीण इलाकों में लोग भी BC मॉडल से अनभिज्ञ है एवं बी.सी. कार्यप्रणाली में सुधार हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में बी.सी. लोकेशन पर लेन-देन तथा गतिविधियों में कनेक्टिविटी के कारण लगने वाले समय से अवगत करवाते हुए कनेक्टिविटी में सुधार हेतु राज्य सरकार से सहयोग हेतु अनुरोध किया।

महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि बी.सी. मॉडल अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है, अब सभी बैंकों को पता होना चाहिए कि बी.सी. कितने लेन-देन संव्यवहार कर रहा है, कितना पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है तथा ऐसी लोकेशन जहां बी.सी. सक्रिय नही है वहां सक्रिय बी.सी. लगाना चाहिए तथा बी.सी. मॉडल की समयबद्ध समीक्षा करने पर भी जोर दिया। उन्होने बताया कि बी.सी. मॉडल बैंकों के लिए व्यवसाय मॉडल के रूप में परिलक्षित हो रहा है तथा बी.सी मॉडल के माध्यम से बैंकों की कम लागत जमाओं में लगातार वृद्धि हो रही है.

महाप्रबंधक, एस.बी.बी.जे. ने भी उक्त का समर्थन करते हुए बताया कि बी.सी. मॉडल की व्यवहार्यता मे दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है तथा अच्छा कार्य करने वाले बी.सी. के पारिश्रमिक में भी बढोतरी हो रही है.

सहायक महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी .ने अवगत करवाया कि **बी.सी .की सक्रियता** को जांचने हेतु एस.एल.बी . सी .के तत्वाधान में एक कमेटी का गठन किया गया था। उक्त कमेटी का उद्देश्य दोषारोपण (Fault Finding) नहीं कर बी.सी. कार्यपद्धति में आ रही बाधाओं का पता लगाकर आवश्यक उपाय सुझाने थे, इस हेतु जिलों में स्थित कुल 295 ब्लॉकों में 1475 लोकेशन की विजिट करनी थी, 249 लोकेशन की विजिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा शेष रहे जिलों से सारबद्ध रिपोर्ट मंगवाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने से अवगत करवाया।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने बी.सी. कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता बतलायी तथा इस हेतु eMitra को अतिरिक्त BC बनाये जाने पर भी जोर दिया तथा कनेक्टिविटी की समस्या के निस्तारण एवं बी.सी. की सक्रियता जांचने हेतु सभी बैंकों के पास संरचनात्मक संस्थागत संरचना की आवश्यकता बतलायी।

सहायक महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने कनेक्टिविटी की समस्या से निवारण हेतु सौर उर्जा चालित वी-सैट कनेक्टिविटी नाबार्ड द्वारा एफआईएफ से सहायता प्रदान करने तथा नाबार्ड से 5 बैंकों ने वी-सेट (V-SAT) कनेक्टिविटी सहायता के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर लिये जाने से सूचित किया.।

महाप्रबंधक, नाबार्ड ने 5 बैंकों को 732 लोकेशन (ग्रे- एरिया) पर सौर उर्जा चालित वी-सैट लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किये जाने से सदन को अवगत करवाया।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने बी.सी. लोकेशन पर बैंक बोर्ड लगाये जाने की आवश्यकता दर्शाई जिससे कि ग्रामवासियों को बी.सी. के बारे में पता रहें।

प्रतिनिधि, राजीविका ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी BC बनाने हेतु उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही से सदन को अवगत करवाते हुए राज्य में कार्यरत दोनो ग्रामीण बैंकों एवं बैंक ऑफ बडौदा के साथ इस बाबत पॉयलट के रूप में कार्य करने से सूचित किया।

सहायक महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि पिछले छः माह के दौरान राज्य में 600 eMitra को अतिरिक्त BC बनाया गया है तथा Pin Pad Device/Hand Hold Devices बी.सी. को दिये जाने से transaction काफी बढ़ रहे है तथा यदि कोई लगातार तीन दिन से ज्यादा लेन-देन नही करता है तो उसकी रिपोर्ट बैंक के सर्वर पर प्रदर्शित होती है तथा इससे बी.सी. कार्यशीलता की जांच की जा सकती है।

सभी बैंकों को बी.सी. सक्रियता की प्रभावी मॉनिटरिंग, बी.सी. को समुचित सहयोग, मार्गदर्शन तथा बी.सी. को प्रेरित करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कि बी.सी. कम से कम रू. 5000/- प्रतिमाह पारिश्रमिक प्राप्त कर सके। निष्क्रिय बी.सी. लोकेशन चिन्हित कर बी.सी. को तुरंत प्रभाव से प्रतिस्थापित (Replace) किया जाये तथा इन लोकेशन पर ई-मित्र को अतिरिक्त बी.सी. के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011):

सदन को 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित गॉवों को कवर करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए एस.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों के सहयोग से -171- बैंक रहित गॉव चिन्हित कर विभिन्न बैंकों के मध्य आवंटित करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक को रोडमैप प्रस्तुत कर दिये जाने के बारे में सूचित किया गया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने मार्च 2016 तिमाही तक उक्त रोड़मैप के अंतर्गत 4 नयी बैंक शाखाएं खोलने से सूचित किया तथा शेष 167 शाखाएं वित्तीय वर्ष 2016-17 में खोले जाने हेतु नियंत्रक बैंकों से अनुरोध किया।

Progress under PMJDY

सदन को प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत राज्य में 1.71 करोड़ खाते खोले जाने तथा 86% खातों में रूपे कार्ड जारी होने, 47% रूपे कार्ड सक्रिय होने तथा 59% खातों में आधार सिडिंग होने से अवगत करवाया गया।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने कहा कि प्राईवेट बैंकों की अन्य बैंकों की तुलना में रूपे कार्ड सक्रियता काफी अधिक होने की सराहना करते हुए प्राईवेट बैंकों के प्रतिनिधियों से इस बाबत उनके द्वारा अपनाई गई कार्य योजनाओं से सदन को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि अन्य बैंक भी इस तरह की कार्यविधि अपना सकें। इस पर प्रतिनिधि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने उनके बैंक द्वारा पहले से सक्रिय (प्री-एक्टिवेटेड) कार्ड जारी करने, ग्राहकों को ग्रीन पिन दिये जाने तथा बी.सी. के माध्यम से कार्ड वितरित करने से सूचित किया जिनका POS पर ही पिन जनरेट किया जा सकता है।

अध्यक्ष, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 16 लाख खातों में आधार सिडिंग की गयी लेकिन सरकार द्वारा खातों में दी जाने वाली सब्सिडी कोऑपरेटिव बैंक को भेज दी गयी, इससे ग्राहक जिसका खाता हमारे बैंक में खुला हुआ था उसको कोऑपरेटिव बैंक में दुबारा खाता खुलवाना पड रहा है, इससे ग्राहक असंतुष्टि के साथ–साथ हमारी शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों का मनोबल भी गिरता है तथा सरकार के इस रवैये के कारण शाखाओं द्वारा आधार सिडिंग में रूची भी नही लिये जाने से सदन को अवगत करवाया तथा सरकार से उक्त की जांच करवाये जाने हेतु अनुरोध किया।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त मुद्दे की जांच करवाये जाने हेतु आश्वस्त किया तथा इस मुद्दे पर अलग से बैठक आयोजित करने हेतु निर्देशित किया।

Sector wise Social Security Scheme

सदन को सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत मार्च 2016 तक कुल 53,03,727 नामांकन होने से अवगत करवाया गया ।

Spread of Financial Literacy in ITIs /Skilling Centre

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने वितीय समावेशन के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया एवं एस.एल.बी.सी. के तत्वाधान में वित्तीय साक्षरता केन्द्रो (FLCs) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से सरकारी व गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्र (OCS) जैसे कौशल विकास केन्द्रों मे वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

इस क्रम में उप महाप्रबंधक, एस.एल.बी.सी. ने उक्त गैर सरकारी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्रों (OCS) जैसे कौशल विकास केंद्रों से आवश्यक सहयोग प्राप्त नही होने व इस बाबत सचिव, आयोजना, राज्य सरकार, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार तथा प्रबन्ध निदेशक, RSLDC के स्तर से समुचित दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किये जाने से सदन को अवगत करवाया। उन्होने अवगत करवाया कि राज्य हेतु गठित वित्तीय समावेशन समिति की प्रथम बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय से भी इस बाबत अनुरोध किया गया है।

प्रतिनिधि, RSLDC ने सूचित किया कि इस बाबत निदेशक, प्रशिक्षण को सभी ITIs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स (VTPs) और ऑपरेशनल केंद्रों (OCS) को समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु मामला अग्रेषित किया जा चुका है।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रतिनिधि RSLDC को उक्त दिशा-निर्देश शीघ्र जारी करवाने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: आयोजना विभाग एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा / RSLDC)

Constitution of State Level Financial Inclusion Committee (SLFIC)

सदन को अवगत करवाया गया कि विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY), तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के सफल संचालन / मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 23.05.2016 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई तथा बैठक के दौरान आधार कार्ड सिडिंग, रूपे कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन मुद्दे पर चर्चा की गयी तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे **"न्याय आपके द्वार"** केम्पों में बैंकों को आधार कार्ड सिडिंग, रूपे कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन के लिए केम्पों में भागीदारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सभी जिला क्लक्टर्स को SARFAESI (सरफेसी) एक्ट में दायर मामलों में बैंकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा वसूली में व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने से सदन को अवगत करवाया गया।

अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) ने बताया कि e-Mitra को कार्यशील पूंजी (Working Capital) उपलब्ध करवाने हेतु शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना एण्ड प्रौघोगिकी, राज्य सरकार तथा संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्देश जारी किये जाने से सदन को अवगत करवाते हुए कुछ बैंकों द्वारा e-Mitra को कार्यशील पूंजी (Working Capital) उपलब्ध नही करवाये जाने से सूचित किया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी बैंकों को अपनी शाखाओं को इस बाबत समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

शासन सचिव, आपदा प्रबंधक एवं आयुक्त मनरेगा, राजस्थान सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि के खातों में राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूची के आधार पर Bulk आधार सीडिंग हेतु बैंकों से अनुरोध किया।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि उक्त मुद्दे पर प्रथम राज्य स्तरीय वित्तीय समावेशन समिति की बैठक में भी चर्चा हो चुकी है तथा वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार खाताधारक से IBA अनुमोदित व UIDAI से पुनरीक्षित (Vetted) सहमति पत्र प्राप्त किये बिना आधार सीडिंग नही की जा सकती तथा मामले को आवश्यक दिशानिर्देशों हेतु वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार को अग्रेषित किया हुआ है।

शासन सचिव, आपदा प्रबंधक एवं आयुक्त मनरेगा, राजस्थान सरकार ने बताया कि लाभार्थी के खाते में आधार सीडिंग हेतु लाभार्थी का सहमति पत्र राज्य सरकार ने भामाशाह खाते खोलते समय ले रखा है तथा राज्य सरकार भी इस बाबत बैंकों को लिखित सहमति देने के लिए तैयार है।

चर्चा में भाग लेते हुए **प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार** ने निर्देशित किया चूंकि मामले को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार को अग्रेषित किया जा चुका है। अतः उनसे प्राप्त प्रत्युतर के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा उन्होने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को इस बाबत वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार से आवश्यक फोलो-अप हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: एस.एल.बी.सी.)

शासन सचिव, आपदा प्रबंधक एवं आयुक्त मनरेगा, राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट लाईफ-मनरेगा अंतर्गत मनरेगा कामगारों को आर-सेटी संस्थान से प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु दिशा-निर्देशों से अवगत करवाते हुए सभी आर-सेटी प्रायोजक बैंकों को अपने संस्थान की इस बाबत समुचित मॉनिटरिंग हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: आर-सेटी प्रायोजक बैंक एवं राज्य निदेशक आर-सेटी)

Constitution of State Level Implementation Committee for Stand-Up India

राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति-Stand-Up India के गठन हेतु एस.एल.बी.सी. स्तर से मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को अनुरोध किये जाने से सदन को अवगत करवाया गया।
(कार्यवाही: आयोजना विभाग, राज्य सरकार)

Constitution of State Level Committee on RSETI

आर-सेटी हेतु राज्य स्तरीय समिति के गठन हेतु एस.एल.बी.सी. स्तर से शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं राज्य मिशन निदेशक एल.पी एण्ड एस.एच.जी., राजस्थान सरकार को अनुरोध किये जाने से सदन को अवगत करवाया गया।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार)

एजेण्डा क्रमांक – 4:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

सदन को भारत सरकार द्वारा **फसल बीमा** हेतु मौजूदा योजनाओं यथा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) के स्थान पर **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** की शुरूवात होने से अवगत करवाया तथा **प्रधानमंत्री फसल फसल बीमा** योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम दर अधिकतम 2% तक, रबी फसलों के लिए बीमा प्रीमियम दर अधिकतम 1.5% तक तथा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में बीमा प्रीमियम दर अधिकतम 5% तक होने से अवगत करवाया गया ।

संयुक्त सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार ने चुरू जिले में SBBJ एवं PNB की शाखाओं द्वारा वर्ष 2013-14 के संशोधित फसल बीमा क्लेम की राशि को सम्बंधित कृषकों के बैंक खातों में जमा नही करने के संबंध में अवगत करवाया गया।

महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि वर्ष 2013-14 में रबी फसल हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में वर्णित मौसम केंद्रों की संख्या को संशोधित अधिसूचना द्वारा बढाया गया था. संशोधित अधिसूचना के अनुसार संशोधित मौसम केंद्रों का विवरण देते हुए बैंकों को संशोधित बीमा घोषणा पत्र 15 दिवस के अन्दर बीमा कम्पनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को भिजवाये जाने थे. लेकिन अधिसूचना बैंक शाखाओं में समय पर नही पहुंच पाने के कारण संशोधित घोषणा पत्र बीमा कम्पनी को नही भिजवाये जा सके तथा संशोधित अधिसूचना के अनुसार मौसम केंद्रों में परिवर्तन के पश्चात भी फसल बीमा कम्पनी (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड) तथा प्रीमियम राशि में कोई बदलाव नही हो रहा था तथा घोषणा पत्रों के माध्यम से चाही गयी सूचना मात्र सांख्यकि सूचना थी इसके समय पर प्रस्तुत नही किये जाने से सम्बंधित फसल बीमा कंपनी की कृषको के प्रति देयता में कोई परिवर्तन नही हुआ है और न ही इससे उनकी फसल बीमा आय प्रभावित हुई है।

उक्त के सम्बंध में कलेक्ट्रेट सभागार, चुरू में क्लेक्टर महोदया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय फसल बीमा कमेठी की बैठक का आयोजन किया गया था जिसमे रबी 2013-14 के लिए संशोधित बीमा क्लेम की अंतर राशि का देने का हर्जाना बीमा कंपनी (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड) व सम्बंधित बैंक द्वारा 50-50 प्रतिशत भुगतान (चुकौती) किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त मामले में बीमा कम्पनियों को मौसम केंद्र की गलत सूचना से कोई नुकसान नही हुआ है अतः बैंकों के विरूद्ध लिये गये निर्णय को निरस्त करते हुए बीमित कृषकों को समस्त देय मुआवजा सम्बंधित बीमा कम्पनी द्वारा दिलवाये जाने हेतु अनुरोध किया।

प्रतिनिधि,एस.बी.बी.जे ने भी उक्त टिप्पणीयों को दोहराते हुए बीमित कृषकों को समस्त देय मुआवजा सम्बंधित बीमा कम्पनी द्वारा दिलवाये जाने हेतु अनुरोध किया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने बताया उक्त संदर्भ में बीमित कृषकों/किसानों को बेवजह क्षतिपूर्ती सहन करनी पड़ रही है अतः पंजाब नेशनल बैंक तथा एस.बी.बी.जे. को बीमित कृषकों/ किसानों के खातों में बीमा क्लेम की अंतर राशि का शीघ्र भुगतान कर मामले को राज्य सरकार से Take-up करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उक्त मुद्दे को उनके स्तर पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के उच्चाधिकारियों के साथ Take-up करने हेतु आश्वस्त किया एवं उक्त मुद्दा उनके कार्यालय को अग्रेषित करने हेतु एस.एल.बी.सी. से अनुरोध किया जिससे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुम्बई कार्यालय से फोलोअप किया जा सके।

(कार्यवाही: पंजाब नेशनल बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर)

अध्यक्ष, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने पिछली तीन बैठकों में उठाये मुद्दे को दोहराते हुए बीमा कम्पनी (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड) द्वारा कमीशन का भुगतान नही करने एवं मौसम केंद्र (weather station) अचानक बदलने के कारण बीमा कम्पनियों को प्रेषित ज्यादा प्रीमियम की राशि वापिस नही लौटाने जाने हेतु सदन को अवगत करवाया

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने राज्य सरकार को इस बाबत सम्बंधित बीमा कम्पनी को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

वसुली- Recovery

सदन को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 25.01.2016 द्वारा राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अधिनियम, 1974 एवं राजस्थान कृषि साख प्रचलन (कठिनाई एवं निवारण) नियम (रोडा एक्ट), 1976 के प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर्स को राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से बकाया बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने के बारे में अवगत करवाया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्य बैंकों से राको-रोडा के तहत लम्बित मामलों में राजस्व कर्मचारियों का सहयोग लेकर अपेक्षित वसूली के प्रयासों हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया।

अध्यक्ष, एस.एल.बी.सी. ने चिंता व्यक्त करते हुए अवगत करवाया कि जिला क्लेक्टर्स की बहुत सी अन्य प्राथमिकताएं होती हैं तथा राको-रोडा में दर्ज मामलों की वसूली कलेक्टर्स की प्राथमिकता नही होती जिसके कारण वसूली में अपेक्षित सहयोग नही मिला पाता है, परिणामस्वरूप बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों विशेषकर कृषि ऋण मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। इस बाबत उन्होने राज्य सरकार से बैंक वसूली हेतु समुचित कदम उठाये जाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: आयोजना एवं राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार से सरफेसी अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा सुरक्षित परिसम्पत्तियों (Secured Assets) का कब्जा प्राप्त करने तथा राको रोडा में दर्ज अन्य मामलों में जिला प्रशासन स्तर से वांछित सहयोग हेतु अनुरोध किया तथा राज्य में बैंक ऋण वसूली प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जिससे कि खातों को गैर निष्पादित होने से बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने वसूली पर एक अलग से उप-समिति गठित कर गैर-निष्पादित आस्तियों की वसुली हेतु विस्तृत चर्चा करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: एस.एल.बी.सी.)

एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:

National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत 37167 SHGs गठित और सहयोजित (Co-opted) किए गये हैं तथा 30346 SHGs को बैंक लिंकेज व 9671 SHGs को क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

प्रतिनिधि, आजीविका, राजस्थान सरकार ने एस.एच.जी. क्रेडिट लिंकेज मे राज्य में बैंकों द्वारा किये जा रहे सहयोग की प्रंशसा की तथा एस.एच.जी. बैंक लिंकेज के सन्दर्भ में राज्य के Category II में Upgrade होने से सदन को अवगत करवाया बताया। उन्होने बताया कि राज्य में स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंक करने की प्रचुर सम्भावनाएं हैं तथा राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 45950 स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज करने तथा इन समूहों को 425 करोड़ रूपये वितरित करने के लक्ष्य से अवगत करवाया जिनमें से RGAVP के अंतर्गत 30,225 स्वयं सहायता समूहों को 257 करोड़ रूपये वितरित करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया यघपि राज्य में एस.एच.जी. क्रेडिट लिंकेज में काफी अच्छा कार्य हो रहा है किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपना प्रदर्शन सुधारने की आवश्यकता है। राज्य में लगभग 28000 स्वयं सहायता समूह repeat डोज के पात्र है अतः पूर्व में चल रहे समूहों को 2nd dose, 3rd dose दिये जाने पर जोर दिया।

उन्होने बताया कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज हेतु तीन महत्वपूर्ण हितधारकों अर्थात RGAVP, नाबार्ड और एस.एल.बी.सी. एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं तथा जून माह के अंत में जिला स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए LDM-DDM-DPM की एक दिन की राज्य स्तरीय कार्यशाला प्रस्तावित करने से अवगत करवाया तथा कार्यशाला में संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहभागिता की भी सम्भावनाएं दर्शाई। जिससे कि LDM-DDM-DPM आपसी समंवय कर द्विमासिक आधार पर ब्लॉक स्तर पर क्रेडिट शिविर के आयोजन कर सकें एवं योजना अंतर्गत प्रगति प्रलिक्षित हो सकें।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि योजनांतर्गत स्वयं सहायता समूह की ऋण स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया सरल है तथा ऋण डिफाल्ट दर Individual ऋणियों को दिये गये ऋण के मुकाबले नगण्य है अतः अधिक से अधिक पात्र समूह को योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया।

अतिरिक्त निदेशक (SHG), WCD विभाग, राजस्थान सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 से महिला SHG ऋण पर 50% ब्याज अनुदान दिये जाने तथा वर्तमान में इस योजना के स्वरूप में प्रक्रियात्मक परिवर्तन कर विकेन्द्रीकृत प्रस्तावित करने के बारे में अवगत करवाया तथा राज्य स्तर पर योजना की अंकेक्षण (Audit) में निरिक्षण अधिकारी द्वारा ब्याज अनुदानों का प्रतिपरीक्षण (Counter Check) करने हेतु क्लेमिंग शाखाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की जाने से अवगत करवाया।

अध्यक्ष महोदय ने योजनान्तर्गत एस.एल.बी.सी. के साथ अलग से बैठक आयोजित कर विस्तृत चर्चा करने हेतु सम्बंधित विभाग को निर्देशित किया।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत 12,500 (व्यक्तिगत लाभार्थी) व 600 (स्वंय सहायता समूह) के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

इस क्रम में **संयोजक, एस.एल.बी.सी.** ने नोडल एजेन्सी को योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों को समय पर सम्बंधित बैंक को प्रायोजित (Sponsor) करने हेतु अनुरोध किया जिससे कि सितम्बर तिमाही तक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकें तथा सदस्य बैंकों से योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण तथा स्वीकृत मामलों में वितरण हेतु अनुरोध किया। समस्त बैंकों से आग्रह किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार तीव्रता से निस्तारण करें।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रतिनिधि, खादी ग्रामोद्योग आयोग, ने योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 के 100% लक्ष्य प्राप्त करने से सूचित किया तथा सभी बैंक प्रतिनिधियों को उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया तथा उक्त योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों का आवंटन कर दिये जाने तथा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यप्रणाली की प्रक्रिया में कुछ संशोधन होने से सूचित किया तथा योजनान्तर्गत आवेदन पत्र ऑनलाईन प्राप्त कर डीटीएफसी से अनुमोदन कराकर बैंको को ऑनलाईन ही अग्रेषित किये जाने से अवगत करवाया।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी नोडल विभागों से सम्बंधित योजनान्तर्गत आवेदन पत्र **30 जून** तक सम्बंधित बैंक को प्रायोजित (Sponsor) करने हेतु अनुरोध किया जिससे कि सितम्बर तिमाही तक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकें।

(कार्यवाही: नोड्ल विभाग, विभिन्न सरकार प्रायोजित योजनाएं)

सदन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांर्तगत राज्य की प्रगति से अवगत करवाया गया तथा आर-सेटी प्रशिक्षित युवाओं को मुद्रा योजनांर्तगत ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सभी बैंकों से अनुरोध किया गया।

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया</u>

महाप्रबंधक, सिडबी ने सदन को अवगत करवाया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्टेंड अप इंडिया कार्यक्रम का शुभारम्भ अप्रेल 2016 में किया गया जिसके तहत प्रत्येक शाखा द्वारा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और एक महिला उद्यमी को 10 लाख से 100 लाख तक का ऋण देकर रोजगार को बढ़ावा देना है, उक्त योजना को सफल बनाने और इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए वेबसाइट www.standupmitra.in का विमोचन करने से सूचित किया तथा योजनान्तर्गत उद्यमियों को जिलास्तर पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया तथा सभी बैंकों से प्रशिक्षण हेतु उद्यमियों को नामित करने हेतु अनुरोध किया। साथ ही उन्होने योजना की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाया।

एजेण्डा क्रमांक – 6:

Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC):

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

सदन को वर्ष 2015-16 में आर-सेटी द्वारा 30728 उम्मीद्वारों को प्रशिक्षित करने तथा उनमें से 9556 उम्मीद्वारों से Settlement के बारें अवगत करवाया गया। राज्य में सभी आर-सेटी द्वारा प्रशिक्षित कुल उम्मीद्वारों की Settlement Rate 66% रही है, जिसमें से 47.14 % उम्मीद्वार बैंक ऋण के द्वारा Settle किये गये है।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना:

सदन को वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में भामाशाह रोजगार सृजन योजना की प्रगति से अवगत करवाया गया तथा योजना का क्रियांवयन ऑन-लाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु सूचित किया गया तथा वर्ष 2016-17 हेतु योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अवगत करवाते हुए सभी बैंकों से लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

<u>Table Agenda</u>

Findings of CD Ratio Committee for Districts (Dungarpur, Rajasmand, Sirohi & Udaipur)

सदन को पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार साख जमा अनुपात वृद्धि में आ रहे अवरोधकों, कारणों का विश्लेषण करने हेतु गठित कमेटी द्वारा सभी चार जिलों डूंगरपुर, राजसमन्द, सिरोही तथा उदयपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने से सूचित करते हुए अध्ययन रिपोर्ट का सार टेबल एजेंडा के रूप में प्रस्तुत कर सदन के समक्ष रखा गया तथा इन जिलों में ऋण प्रवाह की सम्भावनाएं तलाशते हुए ज्यादा से ज्यादा ऋण मुहैया कराने की आवश्यकता दर्शाई गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना : प्रतिनिधि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियांवयन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक को केंद्रीय नोडल एजेन्सी बनाया गया हैं । प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके अंतर्गत LIG एवं EWS लाभार्थी पात्र हैं । उन्होनें प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाते हुए तथा सभी नियंत्रक बैंको से योजना की सम्पूर्ण जानकारी से सभी शाखाओं को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया ।

बैठक के अध्यक्ष, ने बताया कि योजनान्तर्गत सभी बैंकों को क्लेम राशि का आवेदन समय पर करना चाहिए ।

पंजीयन एवं मुद्राक विभाग

अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने कृषि ऋणों में ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु NIC की सहायता से एक सॉफ्टवेयर **"ई-धरती सॉफ्टवेयर"** develop करने से अवगत करवाया, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य के भू अभिलेखों का पहले से और अधिक बेहतर ढंग से व्यवस्थापन कर सॉफ्टवेयर को पंजीयन व मुद्रांक विभागीय ऑनलाईन डाटा से जोड़ कर इसके यूजर-आईडी एवं पासवर्ड सभी बैंकों को उपलब्ध करवाने से सूचित करते हुए बैंक ऑफ बडौदा के साथ इस बाबत टोंक जिले के उनियारा ब्लॉक में पॉयलेट प्रारम्भ होने से अवगत करवाया ।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सदन को अवगत करवाया कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समंवयन समिति (State Level Coordination Committee) गठित है।

उन्होने अनिगमित निकायों एवं गैर कानूनी entities द्वारा अनाधिकृत जमाएं स्वीकार करने पर चिंता व्यक्त करते हुए इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया ।

उन्होने ग्राहक सेवाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि जब भी ब्याज दर में परिवर्तन होता है ग्राहकों को उसका लाभ समय पर नही दिया जाता है ।

बैंकों द्वारा fore-closure प्रभार प्रभारित किये जाते है तथा ऋण खाता बंद होने की स्थिति में प्रतिभूति दस्तावेज समय पर रिलीज नही किये जाते है जिसके कारण बैंकिंग लोकपाल में शिकायतों में बढोतरी हो रही है । उन्होने बैंकों को इस बाबत समुचित ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाई तथा ग्राहक सेवा को सर्वोपरि बताया ।

बैठक के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बडौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी बैंकों व राज्य सरकार के विभागों से आग्रह किया कि किसी भी मुद्दे के समाधान हेतु एस.एल.बी.सी. मिटिंग की प्रतीक्षा नहीं किये जाकर अलग से भी सम्पर्क किया जा सकता है, जिससे कि तिमाही आधार पर आयोजित बैठकों के दौरान विकासपरक एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सारगामी चर्चा की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियांवयन में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में एस.एल.बी.सी. की भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि एस.एल.बी.सी., राजस्थान एक सक्रिय फोरम के रूप में कार्य कर रहा है जो कि बैंकों तथा विभिन्न हितग्राहियों के आपसी सक्रिय सहयोग से सम्भव हो पाया है।

उन्होनें राज्य मे बैंकों के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स यथा बैंक जमाएं, अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण, कृषि, वार्षिक साख योजनांतर्गत प्रगति, साख जमा अनुपात (CD Ratio), कमजोर वर्गों को प्रदत्त ऋण इत्यादि के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं तथा बैठक के सार बिन्दुओं से सदन को पुनः संक्षिप्त में अवगत करवाते हुए आगामी एस.एल.बी.सी. बैठकों के दौरान डाटा पार्ट के बजाय कार्यबिन्दुओं पर सारगामी चर्चा की मॉग रखी जिससे कि राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

बैठक का समापन उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया।

****